न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 79/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
जीतूराम पुत्र मानाराम जाति बावरी निवासी सोनेली तहसील जायल जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार डेह।

उपस्थिति :–

1. श्री डूंगरराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:27.01.2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 10/2017 सरकार बनाम जीतूराम में निर्णय दिनांक 30.08.2017 के तहत मौजा सोनेली के खसरा नं. 719 गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.10.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.11.2017 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार डेह के प्रकरण सं. 10/17 के निर्णय दिनांक 30.08.17 की फोटोप्रति तथा फर्द अहकाम दिनांक 27.06.17 से 30.08.17 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी के बयान लेकर अपीलांट से कोई जांच आदि किये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना, कोई पास पडोसी से जांच/बयान लिये बिना, हकीकत की जांच किये बिना एकतरफा मे अपीलांट को पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 30.08.17 के द्वार तीन माह का सिविल कारावास तथा 44 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। निर्णय एकतरफा मे किया गया। जिसकी जानकारी अपीलांट को नही दी गई। पटवारी ने गांव मे कहा कि अपीलांट को जेल भिजवा कर रहूँगा तब अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे जाकर दिनांक 04.10.17 को पता करवा कर निर्णय की नकल दिनांक 04.10.17 को मांगी गई। जो दिनांक 04.10.17 को शाम को मिली। जिससे आदेश जैर अपील की जानकारी हुई। जिसे प्रथम जानकारी से अंदर मियाद शुमार करना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विपरीत किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–मौजा सोनेली तहसील जायल के खसरा नं. 719 रकबा 1.15 बीघा गै.मु. मगरा पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी ने पूर्व अदावती व अपीलांट के खिलाफ पार्टी के लोगो के सिखाने से अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट की है तथा अपीलांट ने जवाब मे कब्जा नही होना कथन किया है। जिस पर पटवारी ने न्यायालय में कुछ लिखा जाकर उस पर अपीलांट का अंगूठा लगवाया और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का मौके पर कोई कब्जा नही होने या होने के संबंध मे किसी निष्पक्ष पडोसियो के बयान/जांच नही की। अपीलांट ने प्रथम तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलांट ने कब्जा हटा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई मानने योग्य साक्ष्य नही थी। जिसके आधार

अपर कलक्टर, नागौर

पर अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा माना जावे। इस कारण निर्णय जैर अपील तथ्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को वादग्रस्त भूमि पर सब्सिक्वेंट ट्रेसपासर मानने मे गलती की है। अपीलांट का प्रथम मे मुकदमा नं. 7/17 के बाद कभी मौके पर कोई कब्जा नही रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई न्यायिक माइण्ड एप्लाई किये बिना, बिना किसी पर्याप्त आधार के सिविल कारावास का निर्णय पारित कर दिया है। जो कानूनी रूप से अवैध है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व बेदखली व जुर्माना का निर्णय पारित करने मे भी कानूनी गलती की है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नही करके निर्णय जैर अपील पारित करने मे गलती की है।

{2}(VI)–निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व तथ्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(VII)–निर्णय जैर अपील इललिगल एण्ड ऐररनेस होने से निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा सोनेली में स्थित गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये। अपीलांट द्वारा आराजी भूमि से अब तक भी कब्जा नही हटाया जाना पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.12.20 से पुष्टि होती है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके सोनेली के खसरा नंबर 719 गै.मु. मगरा भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। दौराने कार्यवाही अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसका आराजी भूमि पर कोई कब्जा नही है व उसने कब्जा छोड दिया है। उसकी गांव मे कोई जमीन नही है तथा घुमक्कड जीवन व्यतीत करता है। इस संबंध मे नायब तहसीलदार डेह से आराजी भूमि से कब्जा हटाने को लेकर जांच करवायी गयी। जिस पर नायब तहसीलदार डेह की जांच रिपोर्ट क्रमांक 177 दिनांक 23.12.20 के अनुसार आराजी भूमि से अपीलांट द्वारा कब्जा नही हटाया गया है। इससे भी अपीलांट का आराजी भूमि पर हठधर्मिता पूर्वक कब्जा बनाये रखना प्रकट करता है। पूर्व मे प्रकरण सं. 7/17 मे पारित निर्णय दिनांक 25.05.17 की पालना मे भौतिक रूप से बेदखली दिनांक 07.06.17 को किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि फर्द बेदखली से साबित है तथा इस बेदखली को पटवारी के बयान दिनांक 09.08.17 से साबित भी कराया गया है। इससे पश्चातवृति अतिक्रमण होना भी पाया जाता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर नागौर